

23-6-2016

राजस्थान लोक प्रशासन मंत्रालय द्वारा 2 तहसील
उत्तम पक्षी को भी सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने के
बाद पत्रावली राज राजस्थान लोक प्रशासन मंत्रालय
जिला वेत गुरुदास शानीपुरा पर भेजा हुआ।
प्रतिक्रिया के अभाव में तहसीलदार को उक्त
आदेश का कड़ा रूप में अतिरिक्त नहीं ही पत्रों का
मूल को निस्तारित करने के लिए आपत्त से चलने
का कोई अतिरिक्त नहीं ही कतः आपत्त रही लेख
पर निस्तारित किया जाता है पत्रावली के अभाव में
ऐसा नहीं है कि यह शक्ति का वाद हो